



दिनांक- 31.07.2019

झाँसी पुलिस

मीडिया सेल, पुलिस कार्यालय
जनपद झाँसी



सराहनीय कार्य-थाना बबीना पुलिस- चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण

02 शातिर अभियुक्त चोरी के सोने चाँदी के जेवरात, असलहा कारतूस व मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी डॉ० श्री ओ०पी० महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के क्रम पुलिस अधीक्षक नगर श्रीप्रकाश द्विवेदी एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.07.2019 को थाना बबीना पुलिस द्वारा क्षेत्र में दिनांक 28.06.19 से 10.07.19 तक ग्राम खजराहा बुजुर्ग, कोटी, बैदौरा में घरों में घुसकर ताले काटकर चोरी करने वाले गिरोह के पकड़ने एवं भारी मात्रा में सोने व चाँदी के चोरी गये आभूषण (कीमती करीब 01 लाख 50 हजार रुपये) बरामद करने में सफलता हासिल हुई है

घटना का विवरण-

आज दिनांक 31.07.2019 को रात्रि गश्त के दौरान भेल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह व उपनिरीक्षक श्री संतोष कुमार शुक्ला रात्रिगस्त करते हुए आरामशीन बेदौरा रोड से खजुराहा बुजुर्ग, बेदौरा आदि गांवों में गस्त में मामूर थे कि सिमरावारी नहर पुल से पहले दो व्यक्ति मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के जाते दिखाई दिये, बदमाश होने की आशंका पर टोकते हुए रोका तो नहीं रुके घेरकर समय 00.40 AM पर सिमरावारी नहर पुल पार मन्दिर के सामने पकड़ लिया गया। अभियुक्तों ने अपने नाम क्रमशः 1- रोमियो उर्फ रोहन सन ऑफ संतोष आदिवासी निवासी नई बस्ती थाना बबीना झाँसी, 2- बादल पुत्र जगमोहन आदिवासी निवासी पानी की टंकी के पास पहाड़िया कस्बा व थाना बबीना झाँसी बताये, अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः एक एक तमंचा 315 बोर व चार कारतूस 12 बोर तमंचा व तीन कारतूस बरामद हुए पूछताछ और जामा तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सोने व चाँदी के जेवरात जिसमें सोने के 02 हार, 04 कंगन, 02 मंगल सूत्र, 07 अंगूठी, 04 झुमकी, 01 जंजीर तथा चाँदी के 10 जोड़ी पायल, 22 अदद बिछिया व 5400/- रुपए एवं आला नकब कटर, मोटरसाइकिल पैशन प्रो चोरी की, 5400 रुपये नगद आदि बरामद हुये, अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान घटनाओं में एक अन्य साथी के शामिल होने की बात स्वीकार की है जिसे चमन पुत्र मदन निवासी नई बस्ती थाना बबीना जिला झाँसी होना बताया है। दोनों अभियुक्त शातिर अपराधी हैं जिनका अपराधिक इतिहास है। बरामद माल के संबंध में थाना बबीना पर अपराध संख्या 194/19 धारा 457/380 IPC 195/19 धारा 457/380/506 IPC व 202/19 धारा 457/380 IPC पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बबीना पर मु०अ०सं० 221/19 धारा 41/411 IPC एवं 3 /25 A ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ०नि० श्री नरेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी भेल, उ०नि० श्री संतोष कुमार शुक्ला, है०का० 264 सुधीर सिंह, का० 1144 सुभाष सिंह, का० 1752 पवन कुमार, का० 501 संजय कुमार, थाना बबीना झाँसी

